अण्डमान तथा निकोबार प्रशासन
ANDAMAN AND NICOBAR ADMINISTRATION
सचिवालय / SECRETARIAT
******

अधिसूचना

पोर्ट ब्लेयर, दिनांक अप्रैल, 2022

सं ...../2022.फा.सं. 3–75/2021–पं.रा– चूंकि अण्डमान तथा निकोबार द्वीपसमूह (पंचायत) विनियम 1994(1994 की सं.1) की धारा 202 की उप–धारा 1 के तहतअपेक्षित अनुसार दिनांक 28.04.2021 की प्रेस नोट फा.सं. 3–75/2021/पं.रा. द्वारा प्रकाशित अधिसूचना की तिथि से 30 दिनों के भीतर आम लोगों से आपत्तियां एवं सुझाव आमंत्रित करते हुए अण्डमान तथा निकोबार द्वीपसमूह (ग्रामीण क्षेत्र) जलापूर्ति उप–विधि, 2021का प्रारूप प्रकाशित किया गया था।

और चूंकि निर्धारित समयावधि के भीतर आम लोगों से प्राप्त आपत्तियों/सुझावों की जांच की गईऔर इस उप–विधि में उचित रूप से शामिल कर लिया गया है।

अतः अब अण्डमान तथा निकोबार द्वीपसमूह (पंचायत) विनियम 1994 की धारा 203 की उप–धारा(1) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उप राज्यपाल(प्रशासक), अण्डमान तथा निकोबार द्वीपसमूह एतद्द्वारा तत्काल प्रभाव से निम्नलिखित उप–विधि बनाते हैं।

1. **संक्षिप्त नाम**

i) इस उप–विधि को अण्डमान तथा निकोबार द्वीपसमूह(ग्रामीण क्षेत्र)जलापूर्ति उप–विधि, 2022 कहा जाएगा ।

ii) यह उप–विधि शासकीय राजपत्र में इसके प्रकाशन की तिथि से लागू होंगी ।

2. **परिभाषाएँ**– इस उप–विधि में जब तक प्रसंग के अनुसार अन्यथा अपेक्षित न हो :–

i) **'क्षमता'–** जल भण्डारण टंकी के संबंध में 'क्षमता'से तात्पर्य जल लाईन/स्तर तक की मापी गई जल भण्डारण टंकी की क्षमता।

ii) **"वाणिज्यिक परिसर"** अर्थात कोई भी परिसर जहाँ किसी व्यापार, ट्रेड या व्यवसाय लाभ के लिए किए जाते हैं जिसमें पत्रकारिता या मुद्रण स्थापनाएं भी शामिल हैं और वह परिसर जहाँ बैंकिग, बीमा, स्टॉक एवं शेयर, दलाली या उत्पादों का लेनदेन किया जाता है अथवा छात्रावास, रेस्त्रां, बोर्डिंग, चिकन मटन स्टॉल, बूचड़खानों, कैटरिंग हाऊस, सिनेमाघर, सिनेमा के निर्माण के लिए उपयोग किए जाते हैं या सार्वजनिक मनोरंजन के अन्य स्थान या परिसरों में वाणिज्यिक गतिविधि चलाए जाने वाले भवन, फार्म हाउस एवं पेइंग गेस्ट आवास जहाँ अतिथियों के लिए भोजन पकाया और परोसा जाता है और ऐसे परिसर भी शामिल हैं जहाँ नए निर्माण या पुराने भवन का नवीनीकरण किया जाता है।

iii)**"संचार पाईप"**का तात्पर्य :

क) गली/सड़कें, जिसमें मुख्य लाईन बिछी हो, से जुड़ा हुआ वह भाग जहां से परिसर को जलापूर्ति की गई है और गली पर जुड़ते हुए किसी भवन कीबाहरी दीवार के माध्यम से किसी अन्य प्रकार से उस परिसर में सर्विस पाईप प्रवेश करता हो और उन परिसरों में स्टॉपकॉक लगाया गया हो और उस गली की सीमा के बिल्कुल नजदीक जैसा भी व्यवहारिक हो, मुख्य लाईन और स्टॉपकॉक के बीच बहुत सारे सर्विस पाईप बिछी हो ।

ख) अन्य किसी मामलों में,गली के मुख्य तथा सीमा के बीच,जिसमें मुख्य पाईप बिछी हो, बहुत सारी सर्विस पाईप बिछी है और विभाग द्वारा उस क्षेत्र को आपूर्ति किए

जा रहे जल की उपलब्धता के आधार पर आगामी वर्षों में जल वितरण नेटवर्क के सहयोग के लिए मुख्य लाइन के साथ सर्विस पाइप के जंकशन पर जोड़ने के फेर्यूल या अन्य पद्धति शामिल है और–

(i) किसी स्टॉपकॉक के पास संचार पाईप का अंतिम क्षोर है, वह स्टॉपकॉक; तथा

(ii) उसके अन्तिम क्षोर और मुख्य लाईन के बीच संचार पाइप पर लगा हुआ कोई स्टॉपकॉक लगी है;

iv) **"कनैक्शन पाईप"** अर्थात किसी सर्विस पाईप के साथ ग्रामीणआपूर्ति मुख्य लाईन से जुड़ी हुई जोड़चुड़ी से स्टॉप टैप तक की कोई भी पाईप;

v) **"उपभोक्ता"** अर्थात कोई भी कॉर्पोरेट निकाय, व्यक्ति अथवा व्यक्तियों जिन्हेंजलापूर्ति की जा रही है अथवा आपूर्ति के लिए आवेदन किया हो अथवा ग्रामीण जल कार्यों से जल का उपयोग कर रहा हो या कोई भी व्यक्ति या लोग जो जल प्रभार का भुगतान करने के पात्र हैं;

vi) **"उपभोक्ता के पाईप''/''उपभोक्ता के फिटिंग्स"** अर्थात आपूर्ति के लिए और जल कार्यों से जल के उपयोग में इस्तेमाल किए जाने वाले सभी पाईप, फिटिंग्स जैसे टैप, कॉक्स, वॉल्व, मीटर, सिस्टर्न्स, बाथ्स, वाटर क्लोसेट्स, लॅवॉटरी बेसिन और कलपुर्जे और जलापूर्ति के लिए से संबंधित तथा जल कार्यों से जल का उपयोग करने के लिए उपयोग में लाए जाने वाले इसी तरह के अन्य यन्त्र जो जलापूर्ति विभाग/एजेन्सी की सम्पत्ति नहीं हैं;

vii) **"जंगरोधक एलोय"** अर्थात जलापूर्ति विभाग/एजेन्सी द्वारा आपूर्ति की जाने वाले जल से होने वाले जंग को रोकने का एक उत्तम जंगरोधक एलोय;

viii) **"सिलिन्डर"** अर्थात वायुमण्डलीय दाब से अधिक दाब के तहत जल रखने की क्षमता वाला एक सिलिन्डरनुमा बंद पात्र;

ix) **"संवितरण पाईप"** अर्थात उपभोक्ताओं की पाईप जो मुख्य से नहीं जुड़ी है पर किसी भण्डारण टैंक/जलाशय से जलापूर्ति विभाग/एजेन्सी द्वारा जलापूर्ति को पहुँचाया जाता है और ऐसे सिस्टर्न्स से ही दाब दिया जाता है;

x) **"फेरूल"** अर्थात संवितरण पाईप से किसी कनैक्शन पाईप को जोड़ने वाली फेरूल;

xi) **''कार्यरत घरेलू टैप''**अर्थातपेय जल आपूर्ति के लिए किसी घर या इसके परिसर के भीतर उपलब्ध कराए गए पाईपयुक्त जल टैप कनेक्शन।

xii) **''ग्राम पंचायत''**अर्थात अण्डमान तथा निकोबार द्वीपसमूह(पंचायत) विनियम, 1994 की धारा 11 की उप–धारा(1) के तहत गठित ग्राम पंचायत;

xiii) **"मकान"** अर्थात रहने का मकान चाहे वह निजी रहने का मकान हो या भवन का वह भाग जिसे अलग से रहने के लिए उपयोग किया गया है या कोई भूमि जिसमें ग्रामीण जलापूर्ति नेटवर्क से जलापूर्ति की जाती है;

xiv) **"भारतीय मानक विनिर्देशन"** अर्थात भारतीय मानक ब्यूरो द्वारा जारी मानक अथवा विनिर्देशन;

xv) **"आवासीय परिसर"** अर्थात सम्पूर्ण रूप से लोगों के रहने के लिए उपयोग होता है और इसमें सभी गैरेज, अस्तबल और अन्य आऊट–बिल्डिंग मकान जो वहाँ के रहने वालों के नौकर के रहने के लिए उपयोग किए जा रहे हैं, भी शामिल हैं ;

xvi) **"सर्विस पाईप"** अर्थात कोई भी पाईप बशर्ते कि मुख्य पाईप से जल दाब पर किसी परिसर को किसी मुख्य पाईप से जलापूर्ति के लिए या जैसा भी होगा लेकिन किसी टैप से बंद करने के लिए होगा।

xvii) **"स्टॅन्ड पोस्ट"** अर्थात एक टैप की सुविधा अथवा जल आपूर्ति को बंद या खोलने के लिए किसी मेकानिकल युक्ति के साथ सार्वजनिक जलापूर्ति का एक प्वाइन्ट;

xvii) **"भण्डारण टैंक"** अर्थात कोई भी टैंक, फ्लशिंग सिस्टर्न को छोड़कर, जिसमें वायुमण्डलीय दाब के तहत मुक्त जल सतह हो जिससे सिस्टेर्न में लगे ड्रॉ ऑफ टैप के माध्यम से ग्रामीण जल कार्यों द्वारा आपूर्ति नेटवर्क से की जाने वाले जल को उपयोग के लिए सुपुर्द किया जाता हो;

xix) **"स्टॉप टैप"** अर्थात मुख्य पाईप से किसी घर, भवन या भूमि के लिए जलापूर्ति को बंद करने या नियंत्रित करने के लिए ग्रामीण जलापूर्ति मुख्य लाईन से दूर कनैक्शन पाईप की अन्तिम छोर पर लगा हुआ स्टॉप कॉक, स्टॉप वॉल्व और कोई उपकरण;

xx) **"टैंक"** अर्थात वायुमण्डलीय दाब से अधिक दाब के तहत जल रखने की क्षमता वाला एक गैर–सिलिन्डरनुमा बंद पात्र;

xxi) **"अस्थायी प्रयोजन"** अर्थात भवन निर्माण, गिराने या निर्माण कार्य चलने तक की अवधि के लिए या किसी अन्य प्रयोजन के लिए छः माह से कम की अवधि के लिए या जल आपूर्ति विभाग/एजेन्सी द्वारा किसी विशेष मामले में स्वीकृत लम्बी अवधि के लिए उपयोग से संबंधित पाईप;

xxii) **''ग्रामीण जल तथा स्वच्छता समिति''** अर्थातग्राम पंचायत/जनजाति के तहत स्थायी समिति।

xxiii) **"वार्निंग पाईप"** अर्थात एक ओवरफ्लो पाईप जिसका आऊटलेट इस तरीके से बाहर की ओर लगाया गया है जिससे किसी तरह से पानी गिरने पर आसानी से देखा जा सकता है;

xxiv)**"वाटर लाईन"** अर्थात किसी सिस्टर्न से संबंधित ऊपरी जल लाईन जहाँ कार्य के लिए ओवर हेड टैंक/सिस्टर्न डिजाईन किया है;

xxv)**''जल आपूर्ति विभाग/एजेन्सी''** अर्थात क्षेत्राधिकार के ग्रामीण क्षेत्र में जलापूर्ति के संचालन एवं रखरखाव के साथ–साथ पेय जल आपूर्ति के लिए उत्तरदायी अण्डमान लोक निर्माण विभाग के प्रभाग/ग्राम पंचायत/जिला परिषद।

xxvi)**''जिला परिषद''** अर्थात अण्डमान तथा निकोबार द्वीपसमूह(पंचायत) विनियम, 1994 की धारा 144 के तहत गठित जिला परिषद;

सार्वजनिक जलापूर्ति

3. सार्वजनिक स्टॅन्ड पोस्ट/कार्यरत घरेलू टैप कनेक्शन का उपयोग :–

(i) जल आपूर्ति विभाग/एजेन्सी द्वारा या उनकी ओर से विधिवत प्रधिकृत व्यक्ति के अलावा कोई भी व्यक्ति ग्रामीण जल आपूर्ति नेटवर्क के साथ जुड़े हुए किसी भी मुख्य, पाईप, वॉल्व या फायर–प्लग या फायर हाईड्रेन्ट को नहीं खोलेगा या इसमें किसी भी तरह से हस्तक्षेप नहीं करेगा।

(ii) कोई भी व्यक्ति स्टॅन्ड पोस्ट से जानबूझकर या लापरवही से स्टॅन्ड पोस्ट से पानी को बेकार बहा नहीं सकता और प्रत्येक व्यक्तिस्टॅन्ड पोस्ट/कार्यरत घरेलू टैप कनेक्शन का उपयोग करने के बाद उसका टैप बंद करेगा।

(iii) कोई भी व्यक्ति अपने घरेलू प्रयोजन के अलावा पानी जमा करने के लिए स्टॅन्ड पोस्ट अथवा सार्वजनिक टैप/कार्यरत घरेलू टैप कनेक्शन का उपयोग नही करेगा।

(iv) कोई भी व्यक्ति नहाने या कपड़े धोने या अन्य वस्तुओं को धोने या मवेशियों को नहलाने के लिए स्टॅन्ड पोस्ट का उपयोग नहीं करेगा।

(v) कोई भी व्यक्ति भवन के कार्यों या किसी भी विनिर्माण अथवा किसी वाणिज्यिक प्रयोजन के लिए स्टॅन्ड पोस्ट, सार्वजनिक टैप या फायर हाईड्रॅन्ट्स/कार्यरत घरेलू टैप कनेक्शन का उपयोग नहीं करेगा।

(vi) मुफ्त में पानी उपलब्ध कराने वाले सभी सार्वजनिक स्टॅन्ड पोस्ट हटा दिया जाएगा और मीटर लगे सार्वजनिक स्टॅन्ड पोस्ट/कार्यरत घरेलू टैप कनेक्शन के लिए आवेदन करने पर तथा ग्राम जल तथा स्वच्छता समिति की सिफारिश पर प्रत्येक व्यक्ति, जन समूह, आवासीय संगठन, मार्केट संगठन आदि को मीटर लगे हुए सार्वजनिक स्टॅन्ड पोस्ट/कार्यरत घरेलू टैप कनेक्शन की स्वीकृति दी जाएगी। उपरोक्त संगठन के प्राधिकृत व्यक्ति को 1/2इन्च के मीटर लगे हुए कनैक्शन की स्वीकृति दी जाएगी बशर्ते कि उन पर निम्नलिखित शर्तें लागू होंगी:–

1. उन्हे जल आपूर्ति विभाग/एजेन्सी द्वारा समय–समय पर अधिसूचित अनुसार नियमित रूप से शुल्क जमा करना होगा ऐसा नहीं होने पर स्टॅन्ड पोस्ट कनैक्शन को डिसकनैक्ट कर दिया जाएगा।
2. जल प्रभार का भुगतान करने और मीटर लगे सार्वजनिक स्टॅन्ड पोस्ट के अनुरक्षण, पानी को बेकार होने से बचाने और इस जल उप–विधि के अन्य

प्रावधानों, जो अन्य उपभेकताओं पर लागू है, को सुनिश्चित करने की जिम्मेदरी उनकी होगी।

(vii) विद्यमान सार्वजनिक स्टॅन्ड पोस्ट(यदि हो) से लाभ लेने वाले उपभोक्ताओं को भी इस उप–विधि के अधिसूचित होने के एक माह के भीतर खण्ड (vi) में बताए गए तरीके से और निर्धारित प्रपत्र में आवेदनकरना होगा, ऐसा नहीं करने पर स्टॅन्ड पोस्ट कनैक्शन को डिसकनैक्ट कर दिया जाएगा।

स्पष्टीकरण :– इन उप–विधियों के प्रयोजन के लिए घरेलू प्रयोजन के पानी में निम्नलिखित के लिए पानी शामिल नहीं माना जाएगा।

(क) किसी भी व्यापार, विनिर्माण या व्यवसाय; या किसी भी वाणिज्यिक प्रयोजन के लिए।

(ख) फव्वारे, तैराकी या किसी सजावट या ठण्डाई, वातानुकूलन और वाटर सॉफ्टिंग संयत्र आदि सहित मेकेनिकल प्रयोजन के लिए, अथवा

(ग) बगीचा या सिंचाई के प्रयोजन के लिए, या

(घ) सड़कों या फुटपाथों में पानी डालने के लिए, या

(ड.) भवन निर्माण के लिए, या

(च) वाहन या मवेशियों की सफाई करने के लिए।

परिर्वतन या विस्तार या निजी कनैक्शन लेने के लिए

4. कनैक्शन के लिए आवेदन :–उप–विधि 38 के प्रावधानों के शर्तों के अनुसार, ग्रामीण आपूर्ति मुख्य लाईन के साथ निजी कनैक्शन के लिए कनैक्शन नहीं दिया जाएगा और किसी भी निजी परिसर या घर में उसके किसी भी विद्यमान कनैक्शन में परिवर्तन या विस्तार नहीं किया जाएगा जब तक कि ऐसे परिसर या घर के मालिक या उसके प्राधिकृत एजेन्ट आवेदन नहीं करता और उसे उपभोकता के रूप में पंजीकृत किया जाएगा तथा वह उसके घर या परिसर से संबंधित कनैक्शन के लिए इन उप–विधियों के अनुपालन का जिम्मेदार होगा।

5. (i)नियमित कनैक्शन :

उपभोक्ता पहली नियमित कनैक्शन के लिए रु.300/– का बुनियादी कनैक्शन प्रभार और उसके बाद दूसरी कनैक्शन के लिए प्रति कनैक्शन अतिरिक्त 200/–या समय–समय पर अधिसूचित अनुसार प्रभार का भुगतान कर जल आपूर्ति विभाग/एजेन्सी द्वारा विनिर्दिष्टदस्तावेजों के साथनिर्धारित प्रपत्र में आवेदन करेगा। नियमित कनैक्शन के लिए आवेदन करने से पूर्व उपभेक्ता को उस क्षेत्र के जल आपूर्ति विभाग/एजेन्सी के जल प्रभार के सभी बकायों को भरना होगा।कनैक्शन की स्वीकृति की सूचना मिलने पर आवेदक को पोर्ट ब्लेयर नगरपालिका परिषद द्वारा विनिर्दिष्ट अनुसार वास्तविक लागत के अनुरूप जल मीटर प्रतिभूति(चूक हाने पर जल प्रभार की वसूली के लिए प्रतिदेय प्रतिभुति), कनैक्शन प्रभार जमा करना होगा एवं उस क्षेत्र के जल आपूर्ति विभाग/एजेन्सी द्वारा निर्धारित अनुसार अन्य सामग्रियों की आपूर्ति उपभोक्ता द्वारा की जाएगी।उस क्षेत्र के जल आपूर्ति विभाग/एजेन्सी द्वारा मीटर की जांच करने के बाद उपभोक्ता द्वारा अपनीलागत पर मीटर उपलब्ध कराना, लगाना और इसका रख–रखाव करनाहोगा।यदि जल आपूर्ति विभाग/एजेन्सी द्वारा यह मीटर उपलब्ध/बदलाव किया जाता है तो उपभोक्ता को कनैक्शन के लिए आवश्यक अन्य सामग्रियों और जल मीटर की लागत जमा करना होगा। जल कनैक्शन के अनुसार मालिक या पंजीकृत प्रतिनिधि धारी के नाम पर ही जल प्रभार जारी की जाएगी।

(क) जल आपूर्ति विभाग/एजेन्सी द्वारा अधिसूचित अनुसार ही कनैक्शन का प्रभार होगा।

(ख) उपभोक्ता द्वारा अपनीलागत पर कार्यस्थल की आवश्यक खुदाई के साथ–साथ सामग्रियां उपलब्ध कराया जाएगा।

(ग) सड़क निर्माण एजेन्सी द्वारा निर्णीत दर के अनुसार सड़क काटने(यदि हो) के प्रभार का भुकतान उपभेक्ता द्वारा कियाजाएगा।

(ii) ऐसे आवेदनों के साथ जल आपूर्ति विभाग/एजेन्सी द्वारा विनिर्धारित दस्तावेज भी संलग्न करना होगा।

(iii) हार्ड कॉपी या ऑन लाईन जौसा लागू हो, से पूर्ण रूप से भरा हुआ आवेदन प्राप्त होने पर कनैक्शन स्वीकृत की जाएगी, यदि उप–विधि के अनुसार रहा तो।

(iv) 500 वर्ग मी. से अधिक का क्षेत्र, जिसमें वर्षा जल संरक्षण सही स्थान पर है एवं संचालित है या सही स्थान पर नहीं हैं, के वाणिज्यिक उद्देश्य के लिए कोई नया कनेक्शन नहीं दिया जाएगा।

(v) यदि उपभोक्ता द्वारा जल प्रभार या कोई अन्य बकाया का भुगतान नहीं किया जाता है तो जल आपूर्ति विभाग/एजेन्सी उपभोक्ता द्वारा जमा की गई प्रतिभूति से बकाया की वसूली कर सकता है। यदि जल प्रभार/या कोई अन्य देय के सम्पूर्ण बकायों की वसूली के लिए उपभोक्ता द्वारा जमा की गई प्रतिभूति पर्याप्त नहीं है तो भुकतान नहीं किए जाने की चूक की स्थिति में जल आपूर्ति विभाग/एजेन्सी कनैक्शन को डिसकनैक्ट करने के लिए प्राधिकृत होंगे।

(vi) यदि, मीटर क्षतिग्रस्त हो जाती है या खराब हो जाती है तो जल आपूर्ति विभाग/एजेन्सीलिखित में उपभोक्ता को उसे 48 घण्टों के भीतर बदलने या ठीक करवाने का निदेश दे सकता है और ऐसा नहीं करने पर पानी के कनैक्शन को डिसकनैक्ट कर दिया जाएगा। हालांकि उप–विधि 5(I) के प्रावधानों के आधार पर सामान्यतः, उपभेक्ता कीलागत पर बड़े आकार की मीटर खरीद कर उसे बदला जाएगा।

सम्पत्ति की बिक्री या मालिकाना हक हस्तान्तरित करने के लिए अनापत्ति प्रमाणपत्र देते समय जल आपूर्ति विभाग/एजेन्सीसे बेबाकी प्रमाणपत्र प्राप्त करना होगा।

उपभेक्ता के नाम बदलने के लिए जल आपूर्ति विभाग/एजेन्सी द्वारा प्रति कनैक्शन के लिए प्रति कनैक्शन रु.500/–मालिकाना हक हस्तान्तरण शुल्क लिया जाएगा।

6. परिवर्तन या विस्तार की स्वीकृति :–

(i) आकलन(खुदाई आदि के लिए सामग्रियों और श्रम की लागत) की प्राप्ति पर यदि आवेदक परिवर्तन या विस्तार करना चाहता है तो, आकलन (खुदाई आदि के लिए सामग्रियों और श्रम की लागत) की राशि को जल आपूर्ति विभाग/एजेन्सी के प्राधिकृत कार्यालय में जमा करवाना होगा और यदि जल आपूर्ति विभाग/एजेन्सीद्वारा परिवर्तन या विस्तार की स्वीकृति दी जाती है तो जल आपूर्ति विभाग/एजेन्सीद्वारा संचार पाईपबिछाने और फिटिंग्स का कार्य किया जाएगा। पाईप बिछाने और उपभेक्ता के अन्य फिटिंग्स के कार्य लाइसेन्सधारी नलसाज द्वारा इन उप–विधियों के अनुसार किया जाएगा, यदि कनैक्शन के लिए स्वीकृति देते समय जल आपूर्ति विभाग द्वारा कोई शर्तें या सीमाएं निर्धारित की जाती है तो वे शर्तें या सीमाएं आवेदक पर लागू होंगी ।

(ii) लाइसेंसधारी नलसाज कार्य पूरा करने के बाद निर्धारित प्रपत्र में कार्य सम्पाप्ति रिपोर्ट जमा करेगा।

(iii) जल कनैक्शन/परिवर्तन/विस्तार की स्वीकृति प्रदान करने के लिए सक्षम प्राधिकारी इस प्रकार होंगेः–

क्र.सं.	विवरण	कनैक्शन के आकार	जलापूर्ति कनैक्शन की स्वीकृति के लिए सक्षम प्राधिकारी
1.	नियमित घरेलू, वाणिज्यिक, औद्योगिक और संस्थागत कनैक्शन(निर्माण प्रयोजनों के अलावा)	15 मिमी तक	कार्यपालक अभियन्ता
2.	नियमित घरेलू, वाणिज्यिक, औद्योगिक और संस्थागत कनैक्शन(निर्माण प्रयोजनों के अलावा)	20मिमी से 40मिमी तक	अधीक्षक अभियन्ता
3.	सभी श्रेणियों के जल कनैक्शन	40 मिमी से अधिक	अधीक्षक अभियन्ता
4.	सभी प्रकार के अस्थायी जल कनैक्शन	क) केवल 15 मिमी तक ख) 15 मिमी से अधिक	कार्यपालक अभियन्ता अधीक्षक अभियन्ता

7. मीटर की आवश्यकता –जल आपूर्ति विभाग/एजेन्सीद्वारा अलग से अधिसूचित अनुसूची के अनुसार जलापूर्ति के सभी विद्यमान कनैक्श्नों के लिए मीटर लगाया जाएगा।

8. वर्षा जल संभरण की आवश्यकताः–500 वर्ग मीटर से अधिक के क्षेत्र की सभी स्थापनाओं में यदि वर्षा जल संभरण सही स्थान पर नहीं है या संचालित नहीं है और 500 वर्ग मीटर से अधिक की स्थापनाओं में यदि बेकार जल को पुनः इस्तेमाल की सुविधा नहीं है तो इन उप–विधियों को

अधिसूचित करने के 6 माह के भीतर इसे लगाए जाने की आवश्यकता है। सभी अन्य घरों में भी वर्षा जल संभरण से संबंधित समय–समय पर जारी दिशानिर्देशों का पालन करना होगा।

9. **मुख्य लाईन में कनेक्शन –** उपभेक्ताओं के सभी पाईप और उपभेक्तओं के सभी फिटिंग्स इन उप–विधियों के अनुसार इसे उपलब्ध कराई जाएंगी और बिछाई जाएगी तथा जल कनैक्शन जारी करने से पूर्व यह बहुत ही सख्त और वाटर–टाईट होंगे। कार्य पूरा होने पर निर्धारित प्रपत्र में लाइसेन्सधारी नलसाज द्वारा विधिवत हस्ताक्षरित कार्य समापन रिपोर्ट जल आपूर्ति विभाग/एजेन्सी के पास जमा किया जाएगा और उपरोक्त प्रावधानों को पूरा किए जाने तक किसी भी घर या परिसर में जलापूर्ति नहीं की जाएगी।

10. **उपभोक्ता के पाईप और फिटिंग्स को परिवर्तित करना या हटाना –**इन उप–विधियों के अनुसार जल आपूर्ति विभाग/एजेन्सी की पूर्व अनुमति के बिना किसी भी उपभोक्ता के पाईप में बदलाव या विस्तार नहीं किया जाएगा।

11. **फेर्यूल से पानी के मीटर के बीच पानी के लाईन के रिसाव को रोकनाः–**

इस प्रकार के बिन्दूओं में रिसाव देखने पर उपभेक्ताओं को नोटिस भेजकर यह कहा गया कि वे इस रिसाव को 2 दिनों की अवधि के अन्दर ठीक कर लें। इसका अनुपालन न करने पर रिसाव की मरम्मत उपभोक्ता की जोखिम और लागत पर की जाएगी और रू 500/– के जुर्माना सहित इसकी लागत की सूचना जल आपूर्ति विभाग/एजेन्सी के पानी बिल अनुभाग को दे दिया जाएगा, जिसे आगामी पानी के बिल से वसूला जाएगा।

12. उपभोक्ता को निम्नलिखित शर्तों के आधार पर अपना मीटर रखने की अनुमति होगी :–

क) मीटर इस प्रकार का होना चाहिए, जो जल आपूर्ति विभाग/एजेन्सीद्वारा अनुमोदित हो एवं ठीक प्रकार से काम कर रहा हो।

ख) उपभेक्ता, जल आपूर्ति विभाग/एजेन्सीकी स्वीकृति से संस्थापित अपना उप–मीटर रख सकता है, लेकिन जल आपूर्ति विभाग/एजेन्सीइसके रखरखाव या मरम्मत आदि या उप–मीटर के रीडिंग का उत्तदायी नहीं होगा।

ग) पानी मीटर के खो जाने या चोरी होने के मामले में उपभोक्ता प्रथम सूचना रिपोर्ट/ डी.डी. आर.या मजिस्ट्रेट/पब्लिक नोटरी द्वारा विधिवत् साक्ष्यांकित बंध पत्र दाखिल करेगा और वास्तविक प्रभार के अनुसार आवश्यक पानी मीटर की लागत तथा संस्थापन प्रभार के जमा करने के पश्चात् जल आपूर्ति विभाग/एजेन्सीसे अनुमोदन प्राप्त करने के लिए नये मीटर के संस्थापन हेतु आवेदन जमा करेगा।

घ) **पुनः संस्थापन/डिस्कनेक्शन प्रभार :** निम्नलिखित पुनः संस्थापन/डिस्कनेक्शन प्रभार उपभोक्ता से वसूला जाएगाः

मीटर या आकार	पुनः संस्थापन/ आपूर्ति काटने का प्रभार
15 मि.मी. या ½"आई/डी	रू 50/–
20 मि.मी. या 3/4"आई/डी	रू 60/–
25 मि.मी. या 1" आई/डी	रू 75/–
40 मि.मी. या 1½" आई/डी	रू 100/–
50 मि.मी. या 2" आई/डी	रू 200/–
50 से अधिक – 100 मि.मी. या 2' से 4"आई/डी तक	रू 300/–
100 मि.मी. से अधिक	रू 500/–

13. **उपभोग किए गए पानी का प्रभारः**

उपभोगक्ता द्वारा देय पानी का प्रभार प्रतिमाह इस प्रकार होगाः

(i) आवासीय परिसरों में घरेलू उपयोग के लिए उपभोग किए गए पानी का प्रभार निम्नलिखित दरों के स्लैब में होगाः

क) प्रथम 15 किलोलीटर – रू. 3.00/किलोलीटर की दर से

ख) 15 किलोलीटर से 30 किलोलीटर तक – रू. 5.00/कि.ली. की दर से

ग) 30 किलोलीटर से 60 किलोलीटर तक – रू. 7.00/कि.ली. की दर से
घ) 60 किलोलीटर से अधिक – रू. 9.00/कि.ली. की दर से
ड.) बिना मीटर के प्रत्येक प्रथम कनेक्शन के लिए – की दर से रू. 50/– प्रति कनेक्शन/माह
च) बिना मीटर के प्रत्येक दूसरी कनेक्शन के लिए – की दर से रू. 80/– प्रति कनेक्शन/माह
छ) बिना मीटर के प्रत्येक तीसरी कनेक्शन के लिए– रू. 120/– प्रति कनेक्शन/माह की दर से

इसके बाद के सभी कनैक्शन के लिए उपरोक्त निर्धारित अनुसार पिछली कनैक्शन की दर में 50% की दर से वृद्धि लागू होगी।

उपभेक्ता अग्रिम रूप से भी जल प्रभार जमा कर सकता है बशर्ते कि अग्रिम की अवधी के अन्त में वास्तविक मीटर रीडिंग के आधार पर ऐसे अग्रिम का अंतिम समायोजन किया जाएगा।

उपभोगक्ता को अधिसूचना (जल आपूर्ति विभाग/एजेन्सी द्वारा अलग से सूचना जारी की जाएगी) की तिथि से निर्धारित समय सीमा के भीतर पानी का मीटर संस्थापित करना होगा, ऐसा न करने पर उपभोक्ता से 13 (ई) एवं (एफ) में उल्लिखित दर का दोगुना वसूला जाएगा। इसे उसके बाद के बिल में उपभेकता से वसूला जाएगा।

परन्तु, जल आपूर्ति विभाग/एजेन्सी द्वारा तथा प्रशासक के अनुमोदन सेसमय समय पर जरी की जाने वाली अधिसूचना के अनुसार दिव्यांग (अशक्त व्यक्ति) आदि जैसे विशेष श्रेणी के व्यक्तियों को कुछ छूट दे सकता है।

(ii) वाणिज्यिक परिसरों/संस्थपनाओं की न्यूनतम दर इस प्रकार होगीः–

क्र.सं.	**विवरण**	**प्रतिमाह प्रभार्य न्यूनतम दर**
1.	बूथ(फास्ट फुड/ढाबा आदि का व्यापार)	रू 60/– प्रति टन
2.	होटल, सिनेमा, शॉपिंग माल, रेस्त्रां/बार/गेराज तथा/शराब दुकान (वातानुकूलन सुविधाओं सहित)/ वाणिज्यिक/क्लिनिक एवं अन्य वाणिज्यिक कोचिगं स्थापना	रू 120/– प्रति टन
3.	सभी होटल, रेस्त्रां, लॉज तथा अतिथि गृह (बिना वातानुकूलन सुविधाओं सहित) व्यवसायिक उद्देश्य के लिए उपयोग किए जा रहे आवासीय भवन या उसका कोई भाग	रू 110/– प्रति टन
4.	धर्मार्थ के तहत (**श्रेणी–क**) धार्मिक संस्थानों में उपलब्ध एक ½ व्यास के नल को घरेलू कनेक्शन माना जाएगा।	रू 50/– प्रति
5.	धर्मार्थ के तहत (**श्रेणी–ख**) अन्य सभी कनेक्शनों को पानी मीटर द्वारा मापी गई मात्रा के अनुसार वाणिज्यिक कनेक्शन माना जाएगा	रू 60/– प्रति टन
6.	शैक्षिक संस्थान (प्रति टन) क) सरकारी ख) निजी	 रू 100/– प्रति टन रू 100/– प्रति टन
7.	सरकारी विभाग	रू 200/– प्रति टन
8.	जहाज को आपूर्ति	रू 300/– प्रति टन
टेंकर को आपूर्ति		
9.	घरेलू उपभोग– टेंकर को आपूर्ति (कार्ड)	रू 80/– (प्रति दिन 200 लीटर के लिए प्रति माह)
10.	आकस्मिक आपूर्ति(प्रति 200 लीटर)	रू 30/– प्रति 200 लीटर
11.	वाणिज्यिक आपूर्ति (प्रति टन)	रू 180/– प्रति टन
12.	धमार्थ आपूर्ति (प्रति टन)	रू 60/– प्रति टन
13.	शैक्षिक प्रयोजन (प्रति टन)	रू 50/– प्रति टन

14.	सरकारी विभाग को आपूर्ति (प्रति टन)	रू 200/– प्रति टन
15.	जहाज को आपूर्ति (प्रति टन)	रू 300/– प्रति टन
16.	अस्थाई कनेक्शन (½'') प्रति कनेक्शन परन्तु अधिकतम 1000 लीटर/दिन	रू 450/– प्रति टन

जल आपूर्ति विभाग/एजेन्सीद्वारा ग्राम जल तथा स्वच्छता समिति की सजाह से अधिसूचना के माध्यम से समय–समय पर उपरोक्त प्रभार में बदलाव किया जा सकता है। उपबंध I एवं II के अधीन नहीं आने वाले परिसरों के लिए रू 255/– प्रति किलो लीटर प्रभार्य होगा।

(iii) उगाही की जाने वाली पानी के प्रभार/जुर्माना की वृद्धिः–

इस उप–विधि में उल्लिखित दर सूची/जुर्माना के अनुसार दरों में वार्षिक आधार पर पूर्व वर्ष के दरों के संबंध में अतिरिक्त रूप से 3% की दर से वृद्धि की जाएगी तथा प्रत्येक 3 वर्षों में इसकी समीक्षा की जाएगी।

14. (क) उपभोक्ता, जो नियत तिथि में पानी के प्रभार का भुगतान नहीं करता है, वे ब्याज/जुर्माना भुगतान के लिए इस प्रकार उत्तरदायी होंगेः–

(1) विलम्ब अवधि के लिए 12% प्रति वर्ष की दर से ब्याज और

(2) 15 दिनों की विलम्ब अवधि के लिए रू 50/– जुर्माना तथा आगे लगातार उल्लंघन करने के मामले में रू 5/– प्रति दिन के अतिरिक्त जुर्माना के साथ।

यदि भुगतान में, मूल बिल में दर्शाई गई देय तिथि से 3 माह से अधिक विलंब होती है, तो मूल बिल को ही नोटिस माना जाएगा और आगे बिना किसी नोटिस के परिसर की जलापूर्ति काट दी जाएगी। उसके पश्चात् आपूर्ति दोबारा चालू करने के मामले में उपभोक्ता, उपरोक्त अनूसार आपूर्ति दोबारा चालू करने की शुल्क सहित ब्याज एवं जुर्माना भुगतान करने का उत्तरदायी होगा।

परन्तु, इस संबंध में जलापूर्ति विभाग/एजेन्सीः–

i) पानी प्रभार के बकाया भुगतान की किस्तों की संख्या, जितना विभाग ठीक समझे, की अनुमति दे सकता है।

ii)देय तिथि तक पानी प्रभार भुगतान न करने पर निम्नलिखित मामलें में जुर्माने की वसूली माफ करनाः

क) जहाँ बिल में रिकार्ड किया गया मीटर रीडिंग गलत पाया जाता है; अथवा

ख) जहाँ मीटर ठीक प्रकार से कार्य करता हुआ नहीं पाया जाता है।

14. (ख)आवासीय सोसाइटियों के लिए विशेष प्रावधानः

1) **सोसाइटियों के लिए प्रभारः** पानी का कनेक्शन केवल उन्हीं सोसाइटियों को दिया जाएगा, जो अण्डमान तथा निकोबार प्रशासन/पोर्ट ब्लेयर नगर एवं ग्राम योजना द्वारा अनुमोदित हो। परिवार के सदस्यों की कुल संख्या के आधार पर जल आपूर्ति विभाग द्वारा निर्धारित दरों के अनुसार कनेक्शन प्रभार की उगाही की जाएगी।

2) आवासीय सोसाइटियों के लिए दर–सूची संरचनाः

सोसाइटियों को बल्क मीटर के माध्यम से जलापूर्ति की जाएगी। जलापूर्ति केवल सोसाइटी के भूमिगत टंकी मे ही की जाएगी तथा इस प्रकार के मामलों में इसे केवल एक यूनिट ही माना जाएगा। व्यक्तिगत फ्लैट/मकान के लिए सोसाइटी उप–मीटर लगा सकता है। जब तक बल्क मीटर संस्थापित नहीं की जाती, तब तक जलापूर्ति नहीं की जाएगी तथा टी–कनेक्शन प्रभार/शुल्क के कम जमा पर पानी नहीं छोड़ा जाएगा। सोसाइटी को आपूर्ति की गई कुल पानी के भूगतान की जिम्मेदारी उसी की होगी।

उपभेक्ता द्वारा देय पानी का प्रभार जिसकी गणना प्रत्येक आवास ईकाई के लिए की जाएगी, की दर–सूची उप–विधि 13(i)के अन्तर्गत प्रस्तावित अनुसार वही होगा।

15. मीटर की स्थितिः

(i) प्रत्येक मीटर यथा संभव स्टॉप कॉक के समीप लगा होना चाहिए तथा ऐसी जगह पर होना चाहिए जहाँ, इसका निरीक्षण आसानी से हो सके। स्थिति का चयन जलापूर्ति विभाग/एजेन्सी द्वारा किया जाएगा, जिनके पास मीटर और स्टॉप कॉक का अनन्य नियंत्रण होगा।

(ii)जलापूर्ति विभाग/एजेन्सी द्वारा संस्थापित मीटरों की सर्विस तथा मरम्मत की लागत का लेखा–जोखा **संलग्न** में दिए गए **प्रपत्र 'क'** में रखा जाएगा।

(iii) **मीटर में हस्तक्षेपः**जलापूर्ति विभाग/एजेन्सी की अनुमति के बिना किसी भी मीटर को सर्विस पाईप से अलग नहीं किया जाएगा या उसमें अन्य प्रकार से हस्तक्षेप नहीं किया जाएगा।

16. घरेलू उद्देश्यों के लिए पर्याप्त जलापूर्ति बनाए रखने के लिए यदि ऐसा करना आवश्यक प्रतीत हो, गैर घरेलू– उपयोग के लिए पीक लोड समय या किसी भी अन्य समय के दौरान, जलापूर्ति विभाग/एजेन्सी जलापूर्ति रोक सकता है या सीमित कर सकता है।

17.मीटर का ठीक होनाः– प्राधिकृत अभिकरण के माध्यम से स्वयं मीटर के सही होने की जाँच करने की पूरी शक्ति जलापूर्ति विभाग/एजेन्सीके पास है। जाँच के लिए निम्नलिखित शुल्क लागू होंगेः–

18.

क्र.सं.	मीटर का आकार	परीक्षण शुल्क की राशि
i)	½"या 15 मि.मी.	रू 200.00
ii)	3/4"1" या 20 मि.मी. से 25 मि.मी. तक	रू 250.00
iii)	1½"या 40 मि.मी.	रू 300.00
iv)	2" से 3"या 50 मि.मी. से 80 मि.मी.	रू 350.00
v)	4" या 100 मि.मी.	रू 400.00
vi)	6" से 8"या 150 मि.मी. से 200 मि.मी.	रू 450.00
vii)	10" से 12"या 250 मि.मी. से 300 मि.मी.	रू 500.00

लेकिन मीटर से छेड़छाड़ किए जाने के मामले में निम्नलिखित जुर्माना लगाई जाएगीः–

- ½" व्यास – रू 500/–

- 3/4"व्यास – रू 750/–
- 1" व्यास – रू 2000/–
- 1" व्यास से अधिक – रू 3000/–

उक्त जुर्मानें की वसूली के लिए जलापूर्ति विभाग/एजेन्सी का सक्षम प्राधिकारी/कार्यपालक अभियंता सक्षम प्राधिकारी होंगे।

19.मीटर को बदलनाः

(i)सचिव मीटर को सर्विस पाईप से तभी हटवा सकता है और उसके स्थान पर नये मीटर या संतोषजनक मरम्मत तथा जाँच किए गए मीटर को स्थापित करेगाः–

क) जब मीटर रीडिंग पुस्तिका यह दर्शाता है कि खपत कम हो गया और इसके कारण का पता नहीं लगाया जा सकता है।

ख) जहाँ मीटर क्षतिग्रस्त हो गया है या रिकार्ड नहीं हो रहा है या अन्य प्रकार से खराब हो गया है, अथवा

ग) 24 माह की लगातार सेवा के पश्चात्।

(ii) उपबंध(i) के तहत हटाए गए मीटर का परीक्षण होगा तथा जहाँ आवश्यक हो उसकी मरम्मत की जाएगी, साफ की जाएगी तथा ऑयलिंग की जाएगी।

(iii)उसके बाद मीटर की जाँच होगी और वह तब तक सर्विस के लिए पास नहीं होगी, जब तक उसकी रीडिंग 5 प्रतिशत तक सही न हो।

20. खपत की प्रमाणिकताः मीटर रजिस्टर में प्रविष्टियाँ खपत जल की मात्रा का प्रथम दृष्ट्या प्रमाण होगा।

21. पानी के मीटर का सही प्रकार से कार्य करना, पूरी तरह से उपभोक्ता पर निर्भर होगा, जिसे पानी के बिल पर टिप्पणी के माध्यम से खराबी की सूचना दी जाएगी। इस प्रकार के उपभोक्ता को अंतिम बिल, जिसमें यह टिप्पणी हो कि मीटर खराब है, के जारी होने की तिथि से 4 माह की अधिकतम अवधि के भीतर अपना मीटर बदलना होगा। मीटर के खराब बने रहने की अवधि का प्रभार पिछले एक वर्ष के दौरान औसत–खपत के आधार पर निर्धारित की जाएगी। चार माह के भीतर यदि पानी के मीटर को बदला नहीं जाता, तो बिना किसी और सूचना के जलापूर्ति बंद कर दी जाएगी।

22.माँगबिलः मीटर भाड़ा तथा खपत किए गए पानी के माँग बिल जलापूव्रि विभाग/एजेन्सी द्वारा दिया जाएगा और इस बिल के देने की तिथि से पंद्रह दिनो के भीतर भुगतान करना होगा।

स्पष्टीकरणः इस उप–विधि के उद्देश्य के लिए, बिल विधिवत् दे दिया गया माना जाएगा, यदि यह उपभोक्ता को पंजीकृत पते पर या ई–मेल/एस.एम.एस से भेजा गया है।

23.कनेक्शन :–

i)सभी निजि कनेक्शन कम से कम फेर्यूल या कनेक्शन के किसी भी अन्य तरीके, स्टॉपकॉक, मीटर सर्विस पाईप तथा टैप के साथ फिट होना चाहिए। यदि किसी मकान या परिसर में बिना उपरोक्त फिटिंग्स के कनेक्शन पाया जाता है, तो उप–विधि (31) में दिए गए अनुसार कनेक्शन काटा जा सकता है।

ii)कनेक्शन के सभी पाईप, फेर्यूल, स्टॉपकॉक, मीटर तथा अन्य फिटिंग्स जलापूर्ति विभाग/एजेन्सी के नियंत्रणाधीन होगा। इस संबंध में जलापूर्ति विभाग/एजेन्सी द्वारा प्राधिकृत कोई भी अधिकारी द्वारा किसी भी समय उक्त पाईपों, टैपों आदि के मरम्मत तथा परिवर्तन या मीटर रीडिंग के लिए वहाँ जाकर कार्य निपटाएगा।

iii)पाईप लाईन के या किसी भी पानी के कनेक्शन के किसी भी भाग या इसकी ओर जाने वाली मुख्य लाईन के साथ किसी भी प्रकार से कोई छेड़छाड़ नहीं करेगा, चाहे वह मरम्मत, परिवर्तन या किसी भी अन्य प्रयोजन के लिए क्यों न हो, केवल जलापूर्ति विभाग/एजेन्सी के लिखित अनुमति से ही ऐसा किया जा सकेगा।

iv)पंजीकृत उपभोक्ता, उसके मकान या परिसर में कनेक्शन देने के लिए जलापूर्ति विभाग/एजेन्सी द्वारा संस्थापित मीटर इसके सतह बॉक्स या कोई भी अन्य सामग्री की क्षति और/या खो जाने की लागत के भुगतान का उत्तरदायी होगा, परन्तु जलापूर्ति

विभाग/एजेन्सी की राय में यदि मीटर की क्षति जानबूझाकर की गई है, तो ''उप–विधि 31'' में दिए गए प्रावधान के अनुसार कनेक्शन बन्द कर दिया जाएगा।

24. उपभोक्ता के पाईप और फिटिंग का अनुरक्षणः–

i) प्रत्येक उपभोक्ता के मकान के भीतर या परिसरों में लगे स्टॉप टैप, पाईप तथा अन्य फिटिंग्स को वाटर–टाईट स्थिति में तथा पूर्ण रूप से चालू स्थिति में बनाए रखना होगा।

ii)पूर्वाह्न 8.00 बजे औरअपराह्न 5.00 बजे के बीच दिन के दौरान किसी भी समय उपभोक्ता के मकान या परिसरों के भीतर जलापूर्ति संस्थापनों के निरीक्षण के लिए जलापूर्ति विभाग/एजेन्सी किसी भी प्राधिकृत अधिकारी को भेजने का हकदार है। रात के समय के दौरान, आपूर्ति समय के दौरान केवल कनिष्ठ अभियंता या उससे ऊपर के पद का अधिकारी निरीक्षण के लिए प्राधिकृत होगा।

यदि संस्थापन या उसका कोई भाग खराब पाया जाता है, तो जलापूर्ति विभाग/एजेन्सीउपभोक्ता को खराबी ठीक करने के लिए 24 घंटे का नोटिस दे सकता है। पानी के ज्यादा मात्रा में बेकार बह जाने या निवासियों या भवन की सुरक्षा को खतरा पहुँचाने जैसे गंभीर खराबी के मामलों में, उप–विधि 31 में दिए गए प्रावधान के अनुसार कनेक्शन काटा जा सकता है।

25.उपभोक्ता के फिटिंग्स, परीक्षण एवं स्टॉप लगानौः उपभोक्ताओं के किसी भी प्रकार के फिटिंग्स, जलापूर्ति विभाग/एजेन्सी द्वारा समय–समय पर यथा निर्धारित इस प्रकार के आगे और मानकों प्रावधान और विनिर्दिष्टिकरण की पुष्टि करने वाला होगा तथा चाहे उक्त प्रकार से विनिर्दिष्ट हो या नहीं, लगाने से पूर्व जलापूर्ति विभाग/एजेन्सीके अनुमोदन के लिए जमा करना होगा। इस प्रकार के सभी फिटिंग्स का रखरखाव, मरम्मत तथा नवीकरण जलापूर्ति विभाग/एजेन्सीके संतुष्टि से उपभोक्ता के खर्च पर होगा। जलापूर्ति विभाग/एजेन्सी के जलापूर्ति सहित कनेक्शन में उपयोग होने वाले सभी उपभोक्ताओं के उपकरणों की फिटिंग्स का जलापूर्ति विभाग/एजेन्सी द्वारा परीक्षण एवं प्रमाणित किया जाएगा या/इन उप–विधियों के साथ अनुरूपता की गारंटी के रूप में जलापूर्ति विभाग/एजेन्सीद्वारा अनुमोदित परीक्षण मार्क या स्टांप दर्शाना होगा।

26.उपभोक्ता के पाईप और फिटिंग्सः

सभी उपभोक्ता के पाईप और फिटिंग्स उपभोक्ता की लागत पर उपलब्ध होगा और लगाना होगा तथा कोई भी उपभोक्ता जलापूर्ति का हकदार नहीं होगा, जब तक कि इस प्रकार के पाईप और फिटिंग्स तथा उसे बिछाना और लगाना इन उप–विधि के अनुपालन के अनुसार जलापूर्ति विभाग/एजेन्सीद्वारा अनुमोदित न हो तथा जब तक कि निकासी व्यवस्था उचित प्रकार से न किया गया हो।

27. वाटर क्लोसेट के निर्माण का अनुमोदन किया जानाः

किसी भी वाटर क्लोसेट या यूरीनल को तब तक जलापूर्ति के लिए किसी भी प्रकार के कनेक्शन की अनुमति नहीं दी जाएगी, जबतक कि जलापूर्ति विभाग/एजेन्सी द्वारा इसके निर्माण की अनुमति नहीं दे दी जाती तथा भवन उप–विधि में विनिर्दिष्ट अनुसार पर्याप्त भण्डारन व्यवस्था उपलब्ध नहीं करा दी जाती।

28. प्रत्येक परिसर के लिए अलग संचार/वितरणपाईपः

जलापूर्ति विभाग/एजेन्सी द्वारा जलापूर्ति किए गए प्रत्येक मकान या परिसरों के पास अपना अलग संचार/सुपुर्दगी पाईप होना चाहिए। किसी भी संचार पाईप का उपयोगएक से अधिक मकान या परिसर में जलापूर्ति के लिए नहीं होगा।

29. उपभोक्ता के दायित्व

i)कोई भी उपभोक्ता :

(क) किसी कनेक्शन का इस प्रकार से प्रयोग नहीं करेगा या उसे इस प्रकार से प्रयोग की अनुमति नहीं होगी जिससे पानी की फिजूलखर्ची हो या अप्राधिकृत प्रयोग हो।

ख) जलापूर्ति विभाग/एजेन्सी की लिखित अनुमति के बिना किसी भी अहाते, रास्ते या किसी मकान या परिसर के बाहर सार्वजनिक उपयोग के लिए नल नहीं लगाएगा या किसी ऐसे स्थान के आस–पास नल नहीं लगाएगा जहाँ हानिकारक वाष्प उत्पन्न होने की संभावना हो या किसी टंकी या जलाशय के आस–पास नल नल नहीं लगाएगा जहाँ उस टंकी या

जलाशय के अन्दर के पदार्थ के किसी भाग का उपभोक्ता के पाईपलाईन में वापस आने की संभावना रहती हो।

ग) जलापूर्ति विभाग/एजेन्सी की लिखित अनुमति के बिना बन्द किए गए किसी भी कनेक्शन को दोबार नहीं खोलेगा या जब मुख्य पाईप लाईन से कनेक्शन दी गई हो तो ग्रामीण जलापूर्ति के उक्त मुख्य लाईन से कनेक्शन पाईप को दोबार कनेक्ट नहीं करेगा।

घ) किसी भी मीटर की सूचिका में बदलाव करना या आपूर्ति की गई पानी की मात्रा को अंकित करने से रोकना।

ड.) पानी की मात्रा को अंकित करने के लिए लगाए गए मीटर को पानी की मात्रा अंकित करने से पहले पानी को नहीं रोकेगा या पानी का उपयोग नहीं करेगा।

(ii)सर्विस लाईन फट जाने के पश्चात् उपभोक्ता को उसके मकान या परिसर में लगाए गए मीटर में अंकित पानी की मात्रा का प्रभार का भुगतान करना होगा, जब जलापूर्ति विभाग/एजेन्सी इस बात से संतुष्ट हो कि पर्याप्त सावधानी बरती गई है।

30. उपभोक्ता के पाईप से प्रतिबंधित कनेक्शन : जलापूर्ति विभाग/एजेन्सी द्वारा निर्देशित/सुझाव अनुसार इस प्रकार के आकार और वर्णन के सिस्टर्न के माध्यम के अलावा सर्विस पाईप को किसी भी पानी के क्लोसेट, यूरिनल, स्टीम बॉयलर या गर्म करने के लिए किसी गर्म पानी प्रणाली या कोई बंद बर्तन से जोड़ा नहीं जाएगा।

31.कनेक्शन का काटा जाना :प्रत्येक कनेक्शन को निम्नलिखित कारणों से उपभोक्ता के निवेदन पर या जलापूर्ति विभाग/एजेन्सीके आदेश पर काटा जा सकता है –

क) जल संबंधित कार्यो के लिए।

ख) जलापूर्ति के किसी प्रणाली के किसी भी भाग के मरम्मत कार्य के लिए ।

ग) उपभोक्ता को बिल दिए जाने के एक माह की अवधि तक जल प्रभार और मीटर के बिल का भुगतान न किया गया हो ।

घ) यदि जलापूर्ति विभाग/एजेन्सीकी राय में जल के प्रयोग से मकान या परिसर में गंदगी होती हो।

ङ) यदि जलापूर्ति विभाग/एजेन्सी की राय में बेकार पानी के निपटारन के लिए पर्याप्त जल निकासी की व्यवस्था न की गई हो।

च) यदि जलापूर्ति विभाग/एजेन्सी की राय में मकान या परिसर के निवासियों के लिए खतरे की आशंका हो या उस मकान या परिसर के ढाँचे या किसी भाग में अस्थिरता के मामले में।

छ) उप–विधि का गलत प्रयोग या उल्लंघन किया गया हो, या

ज) जलापूर्ति विभाग/एजेन्सीद्वारा निदेशित अनुसार स्थापना द्वारा उप–विधि में उल्लिखित व्यवसायिक वर्षा जल के दोहन या व्यर्थ/अतिरिक्तजलके पुनःप्रयोग की सुविधा का संस्थापन न किए जाने के मामलें में।

झ) ऐसे मामलों में जहाँ मालिक या अधिभोक्ता ने परिसर का प्रयोग इस प्रकार से करते हुए पाए जाने पर, जिससे अण्डमान तथा निकोबार प्रशासन द्वारा भूमि/भवन के हस्तांतरण पर लागू की गई किसी शर्तों का उल्लंघन हो, जैसा भी मामला हो, तब तक पानी का कनेक्शन नहीं काटा जाएगा जबतक मालिक या अधिभोक्ता,जैसा भी मामला हो, को उसका पक्ष रखने के लिए पर्याप्त अवसर नहीं दिया जाता।

स्पष्टीकरण : कनेक्शन काटने से आशय केवल नल को बंद करने तथा मीटर हटाने से है

32.लाइसेंसधारी नलसाजों की सूची:जलापूर्ति विभाग/एजेन्सीउचित अधिसूचना के माध्यम से योग्यता और प्रक्रिया के अनुसार नलसाजों को लाइसेंस जारी करेगी। यह लाइसेंसधारी नलसाजों की सूची को सार्वजनिक डोमेन में रखेगाताकि जल आपूर्ति कनेक्शन संबंधि सेवाओं के लिए उपलब्ध हो सके।

33.लाइसेंसधारी नलसाजों द्वारा किए जाने वाले कार्य : इन उप–विधियों के अधीन उपभोक्ता द्वारा जल आपूर्ति या जल के प्रयोग से संबंधित किसी भी प्रकार के कार्य को जलापूर्ति विभाग/एजेन्सीद्वारा दी गई सूची के नामों में से किसी नलसाजों या उनके कामगारों द्वारा किया जाना चाहिए।

34.नलसाज का नाम बताया जाना: प्रत्येक व्यक्ति जल आपूर्ति संबंधित कार्य किसी नलसाज से करवाता है तो उसे उस नलसाज का नाम जलापूर्ति विभाग/एजेन्सी को सूचित करना होगा।

35.उप–विधि का उल्लंघन करने पर जुर्माना: कोई भी व्यक्ति इन उपविधि का उल्लंघन करता है तो उस पर `50/– का जुर्माना लगाया जाएगा तथा उसके बाद यदि फिर से उल्लंघन किया जाता है तो उस दिन के बाद तक प्रत्येक दिन के लिए रू.5/– की दर से जुर्माना लगाया जाएगा।

बशर्ते कि उपर्युक्त अनुसार जुर्माना लगाए जाने पर भी व्यक्ति इस उप–विधि के उल्लंघन के कारण जलापूर्ति विभाग/एजेन्सीको हुए हानि (यदि हुई हो तो) के लिए विलंब अवधि तथा क्षतिपूर्ति के लिए प्रति वर्ष 12% की दर से ब्याज की अदायगी करने से मुक्त नहीं होगा।

36(i)ग्राम पंचायत प्रभारों, जुर्माना तथा कुल मिला कर दिशानिर्देश के लागू अन्य क्षतिपूर्ति सार के संबंध में प्रभावी तिथि से जमीनी जल के दोहन पर अधिसूचित/यूटी दिशानिर्देशों के प्रावधानों को लागू करेगा।

इसके अलावा, ग्राम पंचायत संघ शाशित भूजल निगरानी समिति द्वारा जारी प्रावधानों और दिशानिर्देशों का पालन करेगी, जिसमें भूजल निष्कर्षण के साथ–साथ ड्रिलिंग रिग के पंजीरकरण के मामले में सी.जी.डब्ल्यू के एन.ओ.सी पी. वेब एप्लकेश्शन के माध्यम से एन.ओ. सी. की आवश्यकता, इन दिशानिर्देशों और अधिसूचना तथा उसके संशोधन में सामग्री के रूप में विभिन्न अन्य मामलेका पंजीकरण, इन दिशानिर्देशों में तथा अधिसूचना एवं उसके शंसोधन के सार के अनुसार अन्य विभिन्न मापदण्डशामिल हैं।

37. पानी के शुल्क को व्यवसायिक से घरेलू में बदलना:

पानी के शुल्क को व्यावसायिक से घरेलू में बदलने के लिए उपभोक्ता द्वारा यह बताते हुए एक शपथ–पत्र प्रस्तुत करना होगा कि पहले व्यावसायिक गतिविधि की जा रही थी किन्तु बाद में डिसकनेक्ट कर दिया गया है। आवेदन और इस संबंध में जमा किए गए शपथपत्र के आधार पर जलापूर्ति विभाग/एजेन्सी द्वारा शुल्क में बदलाव किया जाएगा।

38.पंपो तथा मोटरों का अवैध प्रयोग

उपभोक्ता द्वारा लाइन में जल आवर्धन प्रणाली स्थापित नहीं की जाएगी। यदि परिसर में मुख्य जलापूर्ति प्रणाली में सीधे जल आपूर्ति पर यह प्रणाली पाई जाती है तो उपभोक्ता पर निम्नलिखित कार्रवाई की जाएगी:

क) प्रथम अपराध के लिए पंप/मोटर की जब्ती के साथ रू 500.00

ख) दूसरी बारअपराध के लिए पंप/मोटर की जब्ती के साथरू.1000.00

ग) घरेलू/व्यावसायिक जल कनेक्शन को काट दिया जाएगा।

घ) जुर्माना की अदायगी करने पर जब्त की गई पंप उपभोक्ता को वापस कर दी जाएगी।

39.पहले से ही काटे गए पानी कनेक्शन की अवैध बहाली परः

उचित प्राधिकार के बिना काटे गए पानी कनेक्शन की बहाली के मामलें में जल प्रभार की उगाही को सरल और कारगर बनाने के लिए उपभोक्ता से उपभोग की गई जल के लिए दंडात्मक दर पर जल प्रभार ली जाएगी जो पूर्व निर्धारित राशि के साथ–साथ शुल्क संरचना के लागू दर का दोगुना होगा। फेर्यूल से जल आपूर्ति काटने के लिए `500/– का अतिरिक्त प्रभार लिया जाएगा।

40.विवाद निपटारण तथा निवारण समितियाँः

i) इस उप–विधि के तहत किसी उपभोक्ता द्वारा जलापूर्ति विभाग/एजेन्सी से लिए गए पानी के कनेक्शन के संबंध में इन उप–विधि के अनुरूप या उल्लंघन से सक्षम प्राधिकारी द्वारा लगाया गया जल प्रभार, हर्जाना इत्यादि से संबंधित किसी प्रश्न, विवाद या असहमति होने पर विवाद को सुलझाने के लिए इसे विवाद निपटान के लिए गठित निम्नलिखित विवाद निपटारण समितियों को भेजा जाएगाः

ii) विभिन्न समीक्षा तथा अपीलीय प्राधिकरण इस प्रकार होगीः–

क) जलापूर्ति विभाग/एजेन्सी यदि अण्डमान लोक निर्माण विभाग है तोः

क्र.सं.	विवाद सुलझाने के लिए सक्षमता	समीक्षा प्राधिकारी	अपीली प्राधिकारी
1	रू. 1,00,000/– तक	कार्यपालक अभियंता स्तर की विवाद निपटारण समिति	अधीक्षक अभियंता स्तर की विवाद निपटारण समिति
2	रू.1,00,000/– से अधिक	अधीक्षक अभियंता स्तर की विवाद निपटारण समिति	मुख्य अभियन्ता स्तर की विवाद निपटारण समिति

ख)जलापूर्ति विभाग/एजेन्सी यदि जिला परिषद/ग्राम पंचायत है तोः

क्र.सं.	विवाद सुलझाने के लिए सक्षमता	समीक्षा प्राधिकारी	अपीली प्राधिकारी
1	रू. 1,00,000/– तक	खंण्ड स्तरीय विवाद निपटारण समिति	जिला स्तरीय विवाद निपटारण समिति
2	रू.1,00,000/– से अधिक	जिला स्तरीय विवाद निपटारण समिति	संघ राज्यक्षेत्र स्तरीय विवाद निपटारण समिति

जल प्रभार बिलों के विवाद के लिए निम्नलिखित समितियाँ समीक्षा/अपीली प्राधिकरण के रूप में कार्य करेगीः

क) कार्यपालक अभियंता के स्तर की निवारण समितिः–

i	कार्यपालक अभियंता, अण्डमान लोक निर्माण विभाग(संबंधित)	अध्यक्ष
ii	अध्यक्ष, ग्रामीण जल स्वच्छता समिति	सदस्य
iii	सहायक लेखा अधिकारी अण्डमान लोक निर्माण विभाग(संबंधित)	सदस्य

iv	सहायक अभियंता(संबंधित)	सदस्य
v	कनिष्ठ अभियंता (संबंधित)	सदस्य सचिव

यह समिति `1,00,000/– तक की राशि वाले विवादों के लिए समीक्षा प्राधिकरण होगा।

ख) अधीक्षक अभियंता स्तर की विवाद निवारण समितिः–

i	अधीक्षक अभियंता, अण्डमान लोक निर्माण विभाग	अध्यक्ष
ii	कार्यपालक अभियंता, अण्डमान लोक निर्माण विभाग(संबंधित)	सदस्य
iii	अध्यक्ष, ग्रामीण जल स्वच्छता समिति	सदस्य
iv	सहायक लेखा अधिकारी अण्डमान लोक निर्माण विभाग(संबंधित)	सदस्य
v	सहायक अभियंता, अण्डमान लोक निर्माण विभाग (संबंधित)	सदस्य सचिव

- अण्डमान लोक निर्माण विभाग अर्थात अण्डमान लोक निर्माण विभाग
- अधीक्षक अभियंता अर्थात उस क्षेत्र के क्षेत्राधिकार के जलापूर्ति विभाग का अधीक्षक अभियंता,
- कार्यपालक अभियंता, अण्डमान लोक निर्माण विभाग अर्थात उस क्षेत्र के क्षेत्राधिकार के जलापूर्ति विभाग का कार्यपालक अभियंता
- सहायक लेखा अधिकारी अर्थात अण्डमान लोक निर्माण विभाग के संबंधित प्रभाग के सहायक लेखा अधिकारी
- सहायक अभियंता, अण्डमान लोक निर्माण विभाग अर्थातउस क्षेत्र के क्षेत्राधिकार के अण्डमान लोक निर्माण विभाग का सहायक अभियंता
- कनिष्ठ अभियंता अर्थातउस क्षेत्र के क्षेत्राधिकार के अण्डमान लोक निर्माण विभाग का कनिष्ठ अभियंता

यह समिति `1,00,000/– से अधिक के राशि वाले विवादों के लिए समीक्षा प्राधिकरण होगा एवं `1,00,000/– तक की राशि वाले विवादों के लिए अपीलीय प्राधिकरण के रूप में कार्य करेगी।

ग) मुख्य अभियंता स्तर की विवाद निवारण समितिः–

i	मुख्य अभियंता, अण्डमान लोक निर्माण विभाग	अध्यक्ष
ii	अधीक्षक अभियंता, अण्डमान लोक निर्माण विभाग(संबंधित)	सदस्य
iii	अध्यक्ष, ग्रामीण जल स्वच्छता समिति	सदस्य
iv	मुख्य अभियंता, अण्डमान लोक निर्माण विभाग के वित्त अधिकारी	सदस्य
v	कार्यपालक अभियंता, अण्डमान लोक निर्माण विभाग (संबंधित)	सदस्य सचिव

यह समिति `1,00,000/– से अधिक के राशि वाले विवादों के लिए अपीलीय प्राधिकरण के रूप में कार्य करेगी।

जलापूर्ति विभाग/एजेन्सी के मामले में यदि जल प्रभार बिलों के विवाद केलिएजिला परिषद/ग्राम पंचायतसमीक्षा/अपीलीय प्राधिकरण है तो निम्नलिखित समिति समीक्षा/अपीलीय प्राधिकरण के रूप में कार्य करेगीः

क)खंण्ड स्तर की विवाद निवारण समितिः–

i	सहायक आयुक्त (संबंधित)	अध्यक्ष
ii	अध्यक्ष, ग्रामीण जल स्वच्छता समिति	सदस्य
iii	खण्ड विकास अधिकारी(संबंधित)	सदस्य
iv	राजस्व अधिकारी(संबंधित)	सदस्य
v	पंचायत सचिव(संबंधित)	सदस्य सचिव

यह समिति रू 1,00,000/– से अधिक की राशि वाले विवादों के लिए समीक्षा प्राधिकरण के रूप में कार्य करेगी।

ख)जिला स्तर की विवाद निवारण समितिः–

i	उपायुक्त (संबंधित)	अध्यक्ष
ii	सहायक आयुक्त (संबंधित)	सदस्य
iii	अध्यक्ष, ग्रामीण जल स्वच्छता समिति	सदस्य
iv	तहसीलदार(संबंधित)	सदस्य
v	खण्ड विकास अधिकारी(संबंधित)	सदस्य सचिव

यह समिति रू 1,00,000/– से अधिक की राशि वाले विवादों के लिए समीक्षा प्राधिकरण के रूप में कार्य करेगी एवं `1,00,000/– तक की राशि वाले विवादों के लिए अपीलीय प्राधिकरण के रूप में कार्य करेगी।

ग)संघराज्य क्षेत्र स्तर की विवाद निवारण समितिः–

i	सचिव, ग्रामीण विकास विभाग	अध्यक्ष
ii	उपायुक्त (संबंधित)	सदस्य
iii	अध्यक्ष, ग्रामीण जल स्वच्छता समिति	सदस्य
iv	निदेशक, ग्रामीण विकास विभाग	सदस्य
v	सहायक आयुक्त (संबंधित)	सदस्य सचिव

यह समिति रू 1,00,000/– से अधिक की राशि वाले विवादों के लिए समीक्षा प्राधिकरण के रूप में कार्य करेगी।

iii) आवेदन करने की प्रक्रियाः

उपभोक्ता यदि बिल की राशि से संतुष्ट नहीं होता है तो उसे जलापूर्ति विभाग/एजेन्सीके पक्ष में देय डिमाण्ड ड्राफ्ट के रूप में बिल राशि के 50%के साथ संबंधित समिति के सदस्य सचिव के पास लिखित अनुरोध करना होगा। सदस्य सचिव माह में एक बार विवाद निवारण समिति की बैठक की व्यवस्थित करेगा और निर्णय के लिए उस प्रकार के सभी अनुरोध को समिति के समक्ष रखेगा।

उपभोक्ता यदि, संबंधित विवाद निवारण समिति (समीक्षा प्राधिकरण) के निर्णय से संतुष्ट नहीं होता है, तो वह समीक्षा प्राधिकरण के निर्णय से 15 दिनों के भीतर अपीलीय प्राधिकरण को लिखित में अपील कर सकता है।

इन सभी विवाद निवारण समितियों में उपभोक्ता और/या उसके प्राधिकृत प्रतिनिधि को संबंधित विवाद निवारण समिति के समक्ष अपना मामला रखने का पूरा अवसर दिया जाएगा। सामान्यतया, यह समितियाँ सर्वसम्मति से निर्णय लेने का प्रयत्न करेगी। समिति के अध्यक्ष/सदस्यों के बीच मतों में अंतर पाए जाने पर मामले का निर्णय उपस्थित बहुमत के आधार पर लिया जाएगा। विवाद निवारण समिति मौखिक ओदश/निर्णय जारी करेगा तथा इस मामले में किसी भी प्रकार के नियमों की छूट दिया गया है तो स्पष्ट रूप से उसकाउल्लेख करेगा। यदि आवश्यक हो तो, समिति के सदस्य तथ्यात्मक स्थिति जानने के लिए परिसरों के निरीक्षण/दौरा भी कर सकते हैं। प्रत्येक विवाद निवारण समिति, किसी भी विवादित मामलों के लिए अधिकतम दो बैठक के आयोजन द्वारा मामलों पर निर्णय करेगा और यदि उपभोक्ता या उनके प्राधिकृत प्रतिनिधि बैठक में उपस्थित होने में असफल रहते हैं, तो सीमीक्षा/अपीलीय प्राधिकरण का निर्णय अंतिम माना जाएगा। प्रत्येक समिति द्वारा मामले के निर्णय हेतु एक माह की अवधि में कम–से–कम एक बैठक बुलाएगा।

अपीली प्राधिकरण का निर्णय अंतिम तथा बाध्यक होगा तथा आगे कोई और अपील स्वीकार नहीं किया जाएगा। यह समिति अवसूलीय राशि को छोड़ने सहित सभी मामलों की समीक्षा तथा निर्णय करेगा। आगे ये समितियाँ निम्नलिखित कारणों से पानी के बिल के अत्यधिक प्रभार से संबंधित मामलों सहित उपभोक्ताओं, जिन्हें पानी के मीटर का कनेक्शन स्वीकृत किया गया है, के सभी विवादित मामलों पर विचार/समीक्षा करेगी।

क) निर्माण के पश्चात् परिसर में ताला लगा हुआ है, लेकिन पानी के बिल में प्रति माह वृद्धि होती है।

ख) शुरू में परिसर में लोग रह रहे थेऔर उसके पश्चात् काफी अधिक अवधि के लिए ताला लगा हुआ है।

ग) पानी के मीटर की गलत रीडिंग रिकार्ड होने सहित पानी के मीटर में किसी भी तकनीकी खराबी के कारण अधिक औसत उपभोग होने पर पानी का अत्याधिक बिल सृजित होना।

घ) उपभोक्ता के परिसरों के भीतर–रिसाव के कारण अत्याधिक पानी प्रभार बिल।

ड.) पानी के कनेक्शन की स्वीकृति प्राप्त हो गई है, लेकिन वास्तव में साईट में नहीं लगाया गया है तथा निर्माण आरंभ नहीं हुआ है या भवन का केवल एक भाग का निर्माण हुआ, लेकिन अभी भी पूरा होना बाकी है।

च) जहाँ पर बिलकुल भी वाणिज्यिक गतिविधि नहीं की गई या सीमित समयावधि के लिए की गई हो और वाणिज्यिक प्रभार लगाए जाने के कारण पानी का अत्यधिक बिल।

छ) विवादित बिलों के निपटाने के लिए, जहाँ जलापूर्ति विभाग/एजेन्सी द्वारा जलापूर्ति बंद कर दिया गया है, लेकिन उसे जलापूर्ति विभाग की अनुमति के बिना/ जलापूर्ति विभाग/एजेन्सीको सूचित किए बिना उपभोक्ता द्वारा दोबारा जोड़ दिया गया है।

ज) भवन में पूरी तरह से रहना शुरू नहीं किया है, केवल चौकीदार/पहरेदार, पहरा एवं निगरानी के लिए रह रहा है

विचार/ समीक्षा हेतु रखे हुए सभी लम्बित मामले को इस अधिसूचना के जारी होने से एक माह के भीतर उक्त क्षेत्र के सदस्य सचिव द्वारा उनके क्षेत्राधिकार के भीतर संबंधित समितियों को भेजा जाएगा। लेकिन इन समितियों के गठन से पूर्व जिन मामलों पर निर्णय ले लिया गया है, उन्हें दोबारा खोला नहीं जाएगा।

41. पानी के ओवर फ्लो/बेकार बह जाने पर नियंत्रण रखने के लिए प्रत्येक कनेक्शन के डिस्चार्ज माऊथ के अंतिम क्षोर पर फ्लोट वाल्व होना चाहिए, यह अनिवार्य है, अन्यथा कनेक्शन काट दिया जाऐगा। भवन के जमीन–स्तर से 1.0 मी. की ऊँचाई तक उचित दबाव पर पानी उपलब्ध कराने के लिएजलापूर्ति विभाग/एजेन्सी का उत्तरदायित्व सीमित है। उपभोक्ता के लिए यह आवश्यक है कि वे वितरण पाईप के द्वारा पानी एकत्र करने के लिए ऊपर उल्लिखित ऊँचाई सीमा के अन्दर भण्डारण टंकी/सम्प टंकी का निर्माण करें।

42. कोई भी व्यक्ति, ऐसा कोई भी शौचालय या भुमिगत मल कुंड (सेस पुल) का निर्माण नहीं करेगा, जो किसी भी कुएँ, टंकी, पानी के पाईप या किसी भी स्थिति में जहाँ इस प्रकार के कुएँ, टंकी या पाईप के क्षति होने या उसके पानी प्रदूषित होने की संभावना है।

(एडमिरल डी. के. जोशी)
पी.वी.एस.एम., ए.वी.एस.एम., वाई.एस.एम., एन.एम., वी.एस.एम. (अ.प्र.)
उप राज्यपाल
अण्डमान तथा निकोबार द्वीपसमूह
उप राज्पाल, के आदेश से तथा उनके नाम पर

(षीला देवी)
उप सचिव (ग्रा.वि./पं)

अनुलग्नक

फार्म–क (उप–विधि 15 देखें)
पानी मीटरों की सर्विस तथा मरम्मत पंजिका

आकार ..... इंच ..... मीटर सं. .....
..... द्वारा निर्मित

सर्विस में सर्विस अवधि			मीटर रीडिंग			मीटर रीडिंगमें ली गइं लीटर /कि.ली कारिकार्ड रखें	वापस करने का कारण	मीटर मरम्मत की प्रकृति	सामग्री का मूल्य			
सर्विस में ली गई	वापस की गई	दिन तथा महीने	जारी तिथि के समय	वापसी तिथि के समय	लीटर कि.ली रिकार्ड				श्रमिक	सामग्री	कुल	टिप्पणी
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13